13 अध्याय

जम्मू-कश्मीर

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- जम्मू-कश्मीर का उद्भव विकास कैसे हुआ और भारतीय संविधान में उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे कि किस परिस्थिति में कैसे जम्मू-कश्मीर भारत का विशेष राज्य बना।
- जम्मू-कश्मीर भारत में सामरिक एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से क्या महत्व रखता है।

परिचय (Introduction)

भारतीय संविधान के भाग 21, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बंध में कुछ विशेष अस्थायी उपबन्ध किया गया है। इसका ऐतिहासिक कारण है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वह स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या अपना स्वतंत्र अस्तित्त्व बनाये रख सकते हैं। जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरिसिंह ने यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय लिया। किंतु अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित आज़ाद कश्मीर सेना ने जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप राजा हरिसिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को, कश्मीर के विलय अधिपत्र पर हस्ताक्षर कर, उसे भारतीय संघ में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर दी। इस अधिपत्र द्वारा प्रतिरक्षा, विदेश मामले और संचार के अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए गए, जबकि भारत सरकार द्वारा अनु. 370 के अधीन जम्मू-कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई। तत्कालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत विलय पत्र पर हस्ताक्षर के समय भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि जम्मू-कश्मीर राज्य का भावी संविधान, तथा राज्य का भारतीय संघ से सम्बंध, उस राज्य की संविधान सभा द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 1 मार्च 1949 को संविधान सभा के गठन की घोषणा की गई, तत्पश्चात् राज्य के लोगों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। प्रति 40 हजार की जनसंख्या पर कुल 75 प्रतिनिधि चुने गये। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 30 अक्टूबर 1951 को हुआ। संविधान सभा ने नवम्बर 1951 में एक अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर के वंशानुगत प्रमुख के पद को समाप्त करके निर्वाचित्त सदर-ए-रियासत को राज्य का प्रमुख बनाया गया। इस पद पर सर्वप्रथम डॉ. कर्ण सिंह को निर्वाचित किया गया। 10 फरवरी 1954 को संविधान सभा ने इस बात की पुष्टि की कि, भारत संघ में जम्मू-कश्मीर का विलय अंतिम है। अक्टूबर, 1956 में संविधान सभा ने राज्य का स्थायी संविधान बनाने के लिए अनेक समितियाँ गठित की। संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान की प्रारूप पर संविधान सभा ने विचार विमर्श के बाद 17 नवम्बर, 1952 को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया और 26 नवंबर 1957 को लागू कर दिया गया।

जम्मू-कश्मीर राज्य का संविधान (Constitution of Jammu and Kashmir)

जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना संविधान है, जिसके उपबन्धों के अनुसार इसका प्रशासन चलता है। अत: भारतीय संविधान का राज्यों से, सम्बंधित उपबन्ध (भाग-6) इस राज्यपर लागू नहीं होता। इस संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया है, तथा यह भी कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर राज्य का राज्यक्षेत्र उन सभी प्रदेशों से मिलकर बनता है, जो 15 अगस्त 1947 को उस रियासत के शासक के अधीन थे। अत: जम्मू-कश्मीर के राज्यक्षेत्र के अंतर्गत पाक-अधिकृत कश्मीर (आज़ाद कश्मीर) भी आता है। जम्मू-कश्मीर की राजव्यवस्था से सम्बंधित कुछ प्रमुख उपबन्ध निम्न हैं:

विधानमण्डल

जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए द्विसदनीय विधानमण्डल यथा-विधानसभा एवं विधानपरिषद का प्रावधान किया गया है। विधानसभा के सदस्यों की

कुल संख्या 100 है जिसमें से 24 स्थान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने के लिए रिक्त रखे गये हैं, तथा शेष स्थान राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा भरा जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्य का राज्यपाल विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्य में चुनाव का उत्तरदायित्व भारत के चुनाव आयोग पर है।

विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 36 है। जिनमें 11 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी है। इन 11 सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य लद्दाख का और एक सदस्य कारगिल क्षेत्र का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य 11 सदस्यों का चुनाव भी विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, किंतु ये जम्मू क्षेत्र के होते हैं। शेष 14 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं।

कार्यपालिका

भारत के अन्य राज्यों की भांति जम्मू-कश्मीर राज्य कार्यपालिका की शक्ति भी राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उल्लेखनीय है कि 1965 के पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य के कार्यपालिका प्रधान को 'सदर-ए-सियासत' कहा जाता था, किंतु जम्मू-कश्मीर के संविधान के 6वें संसोधन अधिनियम 1965 द्वारा 'सदर-ए-रियासत' पदनाम को परिवर्तित कर राज्यपाल कर दिया गया।

उच्च न्यायालय

जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो या दो से अधिक अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके की जाती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उक्त दोनों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करते हैं।

राजभाषा

राज्य की राजभाषा उर्दू है, किंतु जब तक विधानमण्डल विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, तब तक राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जा सकता है।

लोक सेवा आयोग

राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

राज्य का स्थायी निवासी

भारत के अन्य राज्यों के विपरीत यहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक नागरिकता वहां के स्थायी निवासियों के लिए है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसे राज्य का स्थायी निवासी समझा जाएगा, यदि वह 14 मई, 1954 को राज्य की प्रजा में शामिल था या राज्य में अचल सम्पत्ति अर्जित करके 14 मई, 1954 से कम से कम दस वर्ष पूर्व तक राज्य का सामान्य निवासी रहा है जबकि पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिए दूसरी नागरिकता है। ये शरणार्थी भारत के नागरिक तो हैं लेकिन ये जम्मू-कश्मीर के नागरिक नहीं हैं।

संविधान संशोधन

जम्मू-कश्मीर राज्य के संविधान का संशोधन प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक पारित करके किया जाता है। किंतु राज्य और भारत संघ के बीच सम्बंध राज्य के विधायी और कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार या राज्य के सम्बंध में लागू भारत के संविधान के प्रावधानों के बारे में कोई संशोधन राज्य विधानमण्डल द्वारा नहीं किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि संसद जम्मू-कश्मीर राज्य के संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है।

जम्मू-कश्मीर और भारतीय संविधान (Constitution of India and Jammu and Kashmir)

जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है किंतु अनु. 370 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति आवश्यक परिवर्तनों सहित भारतीय संविधान के उपबन्धों को जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए लागू कर सकते हैं, यद्यपि अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 370 राज्य के सम्बंध में स्वयंमेव लागू होंगे। इस प्रयोजन से राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश 1950 जारी किया। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि संसद प्रतिरक्षा, विदेश कार्य तथा संचार के विषयों में जम्मू-कश्मीर के सम्बंध में कानून बना सकती है। इस आदेश को अधिक्रांत करते हुए संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश 1954 जारी किया गया, जो 14 मई 1954 को लागू हुआ। जिसमें बाद में समय-समय पर संशोधन किया गया है। इन आदेशों द्वारा भारतीय संविधान के अनेक उपबन्धों को जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू किया गया है जिसके द्वारा उसे कछ विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। कुछ प्रमुख उपबन्ध निम्नलिखित हैं:

1. जम्मू-कश्मीर राज्य के नाम या राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने वाला कोई विधेयक तब तक संसद में पेश नहीं किया जा सकता, जब तक राज्य विधानसभा की पूर्व सहमति न प्राप्त हो जाये। ध्यातव्य है कि अनु. 3 के तहत संसद को नये राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन की शक्ति दी गई है।
2. जम्मू-कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है-एक भारत की नागरिकता और दूसरा, जम्मू-कश्मीर राज्य की नागरिकता (स्थायी निवासी), नौकरी, सम्पत्ति और निवास के विशेष अधिकार राज्य के स्थायी निवासियों को ही प्रदान किए गए हैं।
3. भारत के संविधान के भाग-4 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्व जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते हैं।
4. जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय को वे सभी शक्तियाँ होंगी जो अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों को प्राप्त हैं, सिवाय इसके कि वह 'अन्य प्रयोजन' के लिए रिट जारी नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता (केवल अनु. 135 और 139 को छोड़कर) उस राज्य पर है।

5. अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय आपात काल की उद्घोषणा जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की सहमति के बिना उस राज्य में प्रभावी नहीं हो सकती है।
6. अनुच्छेद-19 में प्रत्याभूत मूल अधिकार को छोड़कर सभी मूल अधिकार जम्मू-कश्मीर में लागू है। ज्ञातव्य है कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, किंतु जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए सम्पत्ति का अधिकार आज भी मूलाधिकार है।
7. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर में लागू होते हैं, किंतु अनुच्छेद 360 (वित्तीय आपात) के उपबन्ध नहीं लागू होते हैं।
8. जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्य क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार राज्य की सहमति से ही किया जा सकता है।
9. संसद को राज्य के विषय में संघ सूची और समवर्ती सूची पर, कुछ अपवादों को छोड़कर विधि बनाने की शक्ति है, किंतु अवशिष्ट विषयों पर राज्य के सम्बंध में विधि बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है, न कि संसद को।
10. संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन राज्यसभा दो तिहाई बहुतम से संकल्प पारित करके राष्ट्रीय हित में जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है।
11. अनु. 22(7) के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए निवारक निरोध सम्बंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं, वरन् राज्य विधानमण्डल को प्राप्त है।
12. भारतीय संविधान के एंग्लो-इण्डियन तथा दलित वर्गों के प्रावधान यहां लागू नहीं होते।
13. अनु. 365 जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता है। अत: संघ के निर्देशों को न मानने पर अनु. 365 के तहत वहां संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं मानी जाती।

राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता

- जम्मू-कश्मीर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर दो प्रकार के आपात की उद्घोषणा की जा सकती है, यथा (1) भारतीय संविधान के अनु. 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तथा (2) जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा.92 तहत राज्यपाल शासन। उल्लेखनीय है कि यहां संवैधानिक तंत्र विफलता से तात्पर्य जम्मू-कश्मीर के संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक तंत्र की विफलता से है, न कि भारतीय संवैधानिक तंत्र की विफलता से।
- जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन पहली बार 27 मार्च, 1977 को लागू किया गया था, जो 8 जुलाई, 1977 तक चला था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की घोषणा 7 सितम्बर 1980 को लागू की गई थी।
- राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही राज्यपाल शासन की घोषणा कर सकता है।

अनु. 370 को समाप्त करने की शक्ति

भारतीय संविधान के अनु. 370 का उपखण्ड (3) यह कहता है कि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक अधिनियम द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन ही प्रवर्तन में रहेगा, जिसे वह विनिर्दिष्ट करें। परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना राज्य की संविधान सभा की सिफारिश के पश्चात् ही की जा सकती है।

भारतीय स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया की शुरूआत हुई। देशी रियासतों के संघ में विलय के आधार हेतु विलय-प्रपत्र तैयार किया गया जिसके अनुसार विदेश विभाग, प्रतिरक्षा एवं संचार व्यवस्था पर संघ की अधिकारिता के अंतर्गत विलय को स्वीकार किया गया। देशी रियासतों द्वारा इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर से बहुत सी देशी रियासतों के भारत में विलय हुए। परन्तु जम्मू-कश्मीर के महाराज ने न तो भारत में और न ही पाकिस्तान में विलय की रूचि दिखलाई, बल्कि अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने का प्रयास किया। किन्तु भारत विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों ने जब जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तो महाराजा ने भारत सरकार से रक्षा की अपील की तथा भारत सरकार से रक्षा की अपील तथा भारतीय संघ में विलय प्रपण पर हस्ताक्षर कर विलय की घोषणा की, अत: जम्मू-कश्मीर राज्य भारतीय संघ में शामिल हुआ। इसे उस समय 'ख' क्षेत्र के राज्य के अंतर्गत रखा गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य जब राज्य के श्रेणीकरण को समाप्त कर दिया गया तो जम्मू-कश्मीर को भारत संघ की राज्य सूची में सम्मिलित कर लिया गया।

जम्मू-कश्मीर का संविधान

जम्मू-कश्मीर राज्य का विलय विशेष परिस्थिति में हुआ था। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने यह घोषित किया कि जम्मू-कश्मीर राज्य के लोग अपनी संविधान सभा के माध्यम से यह तय करेंगे कि राज्य का संविधान क्या होगा तथा भारतीय संघ की राज्य पर क्या अधिकारिता होगी। इस प्रकार जम्मू-कश्मीर राज्य को अन्य राज्यों के उपेक्षा अनु. 370 के अंतर्गत एक विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके बाद भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर की सरकार के बीच जून 1952 में एक समझौता हुआ। यह उन विषयों के बारे में था कि जब तक जम्मू-कश्मीर अपना संविधान नहीं बना लेता तब तक संघ की अधिकारिता बनी रहेगी। जम्मू-कश्मीर की विधानसभा ने 1954 के भारत में विलय को अनुमोदित कर दिया। इसके बाद संविधान राज्य की विधायिका ने संविधान का निर्माण किया। 1957 में यह संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थाई संक्रमण कालीन और विशेष उपबन्धों की व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति भारतीय संघ के अन्य राज्यों से अलग है। इन्हें निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। जम्मू-कश्मीर राज्य का अपन संविधान है जिसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायापालिका व्यवस्था के गठन का प्रावधान किया गया हैं शीर्ष सभी राज्य अपनी शक्ति भारतीय संविधान से प्राप्त करते हैं। अनु. 370 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास न

होकर जम्मू-कश्मीर राज्य के पास है। अनु. 22(7) के अधीन निवारक निरोध से संबंधित विधान बनाने की अधिकारिता इस राज्य के बाबत संघ को नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर राज्य को होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्त्व के प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नही होता है। संसद जम्मू-कश्मीर राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमाओ मे कोई परिवर्तन नहीं करेगा। भारत के नागरिक को एकल नागरिकता के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर राज्य मे बसने, सम्पत्ति के अर्जन इत्यादि संवैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। राज्य की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखने के लिए संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कुछ अंकुश भी हैं जैसे:

1. अनु. 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा जम्मू-कश्मीर राज्य की सहमति के बिना उस पर प्रभावी नही होगी।
2. 356 के संदर्भ मे केन्द्र सरकार संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य मे इसका प्रयोग कर सकती है।
3. अनु. 360 उस राज्य पर लागू नहीं होता।
4. अनु. 365 के अन्तर्गत संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन मे असमर्थ रहने के आधार ही राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता।

राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ मे संविधान आदेश 1954 जारी किया। इसके माध्यम से संविधान के कई उपबंधों को इस पर लागू किया गया। इस आदेश को समय-समय पर संशोधित भी किया गया। वर्तमान मे इस आदेश एवं उसमे हुए संशोधन के आधार पर स्थिति है:

जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना संविधान लागू रहेगा जिसे राज्य विधानसभा ने 26 नवंबर 1957 से लागू किया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जम्मू-कश्मीर पर भी है। अनु 135 एंव अनु 139 को छोड़कर उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है। व्यापार वाणिज्य एंव समागम कि स्वंतत्रता लोक सेवाओं और नागरिकता संबंधो का भी उपबंध इस राज्य पर लागू होता है। नियोजन, संपत्ति के अर्जन और निवास के विशेष अधिकार राज्य के स्थायी निवासियों को प्रदान किए गए हैं। राज्य मे निर्वाचन कराने का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग पर ही है। महालेखा परीक्षक की अधिकारिता का विस्तार भी जम्मू-कश्मीर राज्य पर है। अनु. 370 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए विशेष व्यवस्था के होता हुए भी संसद और भारत सरकार को संघ की प्रभुसत्ता अखंडता और राष्ट्रीय सम्मान को बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध मे भी समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार है। विशेष दर्जे के होते हुए भी यह भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। वर्तमान मे भारत की एकता और अखंडता के प्रबल समर्थकों द्वारा यह विचार व्यक्त किया जा रहा है कि राज्य में आज जो आतंकवाद और अलगाववाद की स्थिति है, इसका मूल कारण अनु 370 के अन्तर्गत उसे प्राप्त विशेष स्थिति है। उस समस्या को समाप्त करने हेतु अनु 370 के प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए। इनका दृष्टिकोण यह है कि इस विशेष स्थिति का लाभ प्राप्त करके ही अलगाववादी तत्त्वों ने शक्ति में वृद्धि की है तथा लगातार स्वायत्तता की मांग को बल प्रदान कर रहा है। यह प्रावधान राज्य के आर्थिक-विकास में भी एक प्रमुख बाधक तत्त्व के रूप में है।

जम्मू-कश्मीर-विशेष राज्य का दर्जा

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान किया गया है।

संघ सरकार के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान है, लेकिन संघीय संविधान तथा जम्मू-कश्मीर के संविधान मे विरोध नहीं होगा। नागरिकता के नियम यहा भी लागू होते हैं, जहाँ कि सरकार को स्थायी निवास की समय-समय पर व्याख्या करनी होगी। मौलिक अधिकार इस राज्य मे भी लागू होते हैं, लेकिन प्रतिबन्धित रूप में। भारत के संविधान मे वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्व यहाँ लागू नही होते। समवर्ती सूची किसी विषय पर राज्य के कानून को केन्द्र कि सर्वोच्चता के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। अवशिष्ट विषय राज्य के पास है। केन्द्र राज्य सूची के विषय पर केवल आपातकाल को छोड़कर अन्यथा विधि नही बना सकता। लेकिन अवशिष्ट संविदा या समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। केन्द्र सूची के विषयों पर बनाए कानून यहाँ लागू होते हैं। भारतीय संविधान के ऐंग्लो इण्डियन तथा दलित वर्गों के प्रावधान यहां लागू नहीं होते।

जम्मू-कश्मीर राज्य स्वायत्तता संकल्प (Jammu and Kashmir Autonomy Resolution)

जम्मू-कश्मीर को ज़्यादा स्वायत्तता देने के उपायों की संस्तुति देने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक राज्य स्वायत्तता समिति गठित की थी। समिति ने बहुत व्यापक संस्तुतियां दी, जिसे राज्य विधानमंडल ने जून, 2000 मे अनुमोदित कर दिया। राज्य विधानमंडल ने यह भी मांग की कि केन्द्र इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर ले, जिसे संसद ने अस्वीकार कर दिया है।

प्रतिवेदन की प्रमुख संस्तुतियां निम्न हैं और वे अधिकांशत: 1953 से पहले की स्थिति बहाल करना चाहती है। अनु. 370 में अस्थायी शब्द के स्थान पर विशेष लिखा जाये। केवल प्रतिरक्षा, विदेश कार्य, मुद्रा, संचार एवं सहयोगी विशेष केन्द्र के पास होने चाहिए अन्य सभी विशेष को राज्य को हस्तान्तरित कर देना चाहिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग की अधिकारिता राज्य से वापस ली जाये। अनु. 356, जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पहले वाला पदनाम वापस लाया जाये। राज्य का राज्यपाल, राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाये। जम्मू-कश्मीर के मामले मे संसद और राष्ट्रपति की भूमिका निर्बन्धित या सीमित की जाये। अपील करने के लिए विशेष इजाजत प्रदान करने के उच्चतम न्यायालय के अधिकार को जम्मू-कश्मीर के मामले में वापस लिया जाये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए विशेष उपबंध, जम्मू-कश्मीर मे लागू नहीं होंगे। जम्मू-कश्मीर के मामले में, केन्द्र की अंतर्राज्यीय नदियों के विवादो के ऊपर न्यायनिर्णयन (Adjudication) का अधिकार नहीं होगा। जम्मू-कश्मीर के

लिए मूल अधिकारों के ऊपर एक विशेष अध्याय होगा। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा सुनी हुई सिविल एवं आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायलय की अपीली अधिकारिता को वापस लिया जाये।

जम्मू-कश्मीर समस्या समाधान हेतु पटगावकर समिति की रिपोर्ट

जम्मू-कश्मीर समस्या के समाधान के लिए केन्द्र-सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय पटगांवकर समिति ने 12 अक्टूबर 2010 को अपनी रिपोर्ट गृहमंत्री पी. चिदम्बरम को सौंप दी। समिति ने अपनी रिपोर्ट मे राज्य के अलगाव वाले क्षेत्रों को स्वायत्तता देने, लक्षित आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा सीमा पार आदान-प्रदान जैसे उपायों को अपनाने की सिफारिश की है। केन्द्र सरकार में जम्मू-कश्मीर की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सितम्बर 2010 मे दिलीप पटगांवकर की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था।

दिलीप पटगांवकर की अध्यक्षता में गठित इस समिति के दो अन्य सदस्य शिक्षाविद राधा कुमार और पूर्व सूचना आयुक्त एम. एम. अंसारी थे। इस रिपोर्ट में राज्य में प्रयुक्त सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की भी समीक्षा की सिफारिश की गई।

अध्याय सार संग्रह

- भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जम्मू-कश्मीर एक स्वतंत्र देशी रियासत में था। जहाँ डोगरा वंश के शासक राजा हरि सिंह थे।
- 26 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तान समर्थित आज़ाद कश्मीर सेना ने जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण किया तो जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरिसिंह ने भारत की शरण ली।
- महाराजा हरिसिंह ने 16 अक्टूबर, 1947 को अन्य देशी रियासतों के समान एक अंगीकार पत्र के अंतर्गत भारत से समझौता किया।
- अंगीकार पत्र के अनुसार भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के प्रतिरक्षा, संचार और विदेशी मामले को अपने हाथ में ले लिए तथा शेष सभी मामले जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए छोड़ दिए गए।
- जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के साथ ही वह भारत का अभिन्न भाग बन गया और भारतीय संविधान के लागू होने के समय में भाग 'ख' राज्य में शामिल किया गया।
- जम्मू-कश्मीर की समस्याओं को देखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है तथा उसके लिए प्रावधान किये गये हैं।
- जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों को पृथक संविधान के निर्माण का अधिकार दिया गया है।
- भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 1 और 370 जम्मू-कश्मीर राज्य पर स्वत: लागू होगें और शेष अनुच्छेदों का लागू होना राष्ट्रपति पर निर्भर होगा जो राज्य सरकार के परामर्श से निश्चित होगा।
- संविधान सभा ने सर्वप्रथम 1951 में एक अधिनियम पारित करके जम्मू-कश्मीर के लिए एक निर्वाचित राज्याध्यक्ष का प्रावधान किया, जो 'सदर-ए-रियासत' कहलाता था।
- 1954 में संविधान सभा ने अंतिम रूप से जम्मू-कश्मीर राज्य के भारत में विलय की पुष्टि कर दी।
- 1956 में संविधान सभा ने राज्य के संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया।
- संविधान की प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे 17 नवम्बर 1957 को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया।
- जम्मू-कश्मीर राज्य के नाम अथवा राज्यक्षेत्र में परिवर्तन इस राज्य के विधानमण्डल की सम्मत्ति के बिना संभव नहीं है। संसद में ऐसे विधेयक तभी पेश किये जा सकते हैं, जब राज्य विधानसभा इसके लिए पूर्व सहमति दे दे।
- लेकिन अनु. 249 के अतंर्गत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो जम्मू-कश्मीर राज्य के संदर्भ में लागू होता है (1986 में लागू)।
- संविधान के अनु. 253 के अंतर्गत यदि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते से जम्मू-कश्मीर राज्य प्रभावित हो रहा हो, तो बिना जम्मू-कश्मीर राज्य की सहमति के ऐसा संधि या समझौता सभंव नहीं है।
- जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में नागरिकता का विशेष प्रावधान किया है। जबकि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जम्मू-कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, एक भारत की नागरिकता और दूसरा जम्मू-कश्मीर राज्य की नागरिकता।
- भारतीय संविधान भाग-4 के नीति निदेशक तत्त्वों सम्बंधी प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते। जम्मू-कश्मीर राज्य को नीति-निर्माण सम्बंधी किसी प्रकार का आदेश केन्द्र द्वारा नहीं दिया जा सकता है।
- अनुच्छेद 352 के अधीन सशस्त्र आंतरिक विद्रोह के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपात काल की उद्घोषणा की जाती है, तो उसका प्रभाव जम्मू-कश्मीर राज्य पर तब तक नहीं होगा, जब तक राज्य विधान मंडल उससे सहमत न हो।
- संविधान के अनु. 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए राज्यपाल शासन का प्रावधान है। राज्यपाल को यह शक्ति होगी कि राष्ट्रपति की सहमति से वह राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य ग्रहण करे।
- अनु. 356 के अंतर्गत यद्यपि कि जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए राज्यपाल शासन की व्यवस्था है, लेकिन 6 महीने के बाद यह राष्ट्रपति शासन के रूप में परिणत हो जाता है।
- जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान मंडल के दो सदन हैं (1) विधानसभा और (2) विधान परिषद।
- विधानसभा की सदस्य संख्या 100 है, जिसमें 24 स्थान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रतिनिधियों के लिए रखे गये हैं। राज्यपाल को दो महिला सदस्यों को मनोनीत करने की भी शक्ति प्राप्त है। एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्यपाल को ऐसा अधिकार प्राप्त है।